


13.12.23

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी या वादी स्वयं उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं हुए। अतः वादी का यह वाद पत्र अदम्य पेशी - अदम्य हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरीक तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखा जाकर जूले न्यायालय में मुनासा गया।


(अमिता बिश्नोई)
RAS

वकील वादी या वादी स्वयं उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं हुए। अतः वादी का यह वाद पत्र अदम्य पेशी - अदम्य हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरीक तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।